(2009) 4 एस.सी.आर. 448

राजस्थान राज्य व अन्य

बनाम

एस. एन. तिवारी व अन्य

व्यवहार अपील संख्या 1609 सन् 2009

मार्च 16, 2009

(एस.बी. सिन्हा, बी. सुदर्शन रेड्डी एवं डॉ. मुकुन्दकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण)

सेवा विधि:

धारणाधिकार का पर्यवसान– अभिनिर्धारित किया गया कि– राजकीय सेवक द्वारा उस पद का धारणाधिकार जिस पर उसे मूल रूप से नियुक्त किया गया था, तब समाप्त हो जाता है जब उसे स्थायी रूप से अन्य मूल पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। – मात्र यह तथ्य कि उस कर्मचारी के द्वारा लंबी अवधि तक पश्चातवर्ती पद पर कार्य किया जाना जारी रखा गया, उसके मूल विभाग में धारणाधिकार को क्षति कारित नहीं करेगा। – वर्तमान प्रकरण में तब कोई आपत्ति नहीं की गई जब उसके द्वारा सभी संबंधित को विधिवत सूचित करते हुए यह विकल्प दिया गया कि मूल विभाग में उसका धारणाधिकार उच्च पद पर पदोन्नति/वित्तीय हितों के संरक्षण हेतु बनाए रखा जाए। – प्रकरण में इस मत के परिप्रेक्ष्य में संबंधित कर्मचारी को सदैव अपने मूल विभाग में धारणाधिकार प्राप्त था।

शब्द व वाक्यांश:

' धारणाधिकार ' – सेवा विधि के संदर्भ में अर्थ – व्याख्यित

उत्तरदाता, जोकि राजस्थान सरकार के वित्तीय एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग में श्रेणी–।। का अन्वेषक है, को यद्यपि अधिशेष घोषित किया गया था परंतु उसे निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था तथा दिनांक 03.12.1980 को उसे छः माह की अवधि अथवा लोक सेवा आयोग से किसी अभ्यर्थी के चयन तक के लिये ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत पूर्णतः अस्थायी व अत्यावश्यक रूप से होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तरदाता उसी पद पर दिनांक 31.12.1994 अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्य करता रहा। इसी मध्य वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त एक पत्र के उत्तर में उत्तरदाता के द्वारा पत्र दिनांकित 08.04.1991 के माध्यम से अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाओं में अपने धारणाधिकार को जारी रखने के अधिकार का प्रयोग उच्चतर सांख्यिकी सेवाओं में अपने वित्तीय हितों/पदोन्नति के संरक्षण हेतु किया गया। उत्तरदाता के द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4832/91 स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश जारी किये जाने हेतु योजित की गई कि उसे मूल विभाग में वापस न भेजा जाये। छः वर्षों के पश्चात उत्तरदाता ने एक अन्य रिट याचिका संख्या 1663/1997 वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 1964 के पश्चात से रिक्तियों की पुनः गणना करने तथा उसे वरिष्ठता प्रदान किये जाने तथा पदोन्नति व पारिणामिक

वित्तीय लाभ अपने कनिष्ठ के सांख्यिकी निरीक्षक से उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत होने की तिथि से दिये जाने के लिये निर्देश जारी किये जाने हेतु योजित की। रिट याचिका स्वीकार की गई। रिट याचिका संख्या 4832/91 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया गया।

वर्तमान अपीलों में अपीलार्थी– राज्य सरकार की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में पदासीन हो जाने एवं उसी पद से सेवानिवृत्त होने के कारण वह वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में वर्ष 1980 के पश्चात पदोन्नति व अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अपीलों को निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि –

1.1 ''धारणाधिकार'' शब्द लैटिन भाषा के शब्द ''लिगामेंट '' से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है ''बाध्यकारी ''। सेवा विधि में धारणाधिकार का अर्थ संविदा, सामान्य विधि, साम्य, आदि के संदर्भ से भिन्न है। सेवा विधि में किसी राजकीय सेवक के धारणाधिकार से तात्पर्य उसके उस मूल पद को स्थायी रूप से धारण करने के अधिकार से है, जिस पर उसे स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। (प्रस्तर 14) (455–जी–एच; 456–ए)

त्रिवेणी शंकर सक्सैना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1992 सुप (1) एस.सी.सी. 524– संदर्भित

1.2 यह सुस्थापित है कि जब किसी व्यक्ति जिसके पास किसी पद के प्रति धारणाधिकार है, को मूलतः किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, केवल तभी उसे पश्चातवर्ती पद के प्रति धारणाधिकार उत्पन्न होता है। केवल और केवल तभी पूर्व पद के संबंध में धारणाधिकार समाप्त होता है। धारणाधिकार का तात्पर्य एक लोक सेवक के उस मूल पद को धारण करने से है, जिस पर उसे नियुक्त किया गया था। किसी लोक सेवक का पूर्व पद पर धारणाधिकार तब समाप्त हो जाता है यदि उसकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से हो जाती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी का धारणाधिकार नये स्थायी पद पर स्थानांतरित हो जाता है। यहां पूर्व स्थायी पद पर धारणाधिकार की औपचारिक समाप्ति की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्तर 13) (456–ई–एफ)

राम लाल खुराना बनाम पंजाब राज्य (1989) 4 एस 0 सी0 सी0 99 – संदर्भित

1.3 उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अभिमूल्यन पर यह पाया कि उत्तरदाता का धारणाधिकार वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में सदैव बना रहा। होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में आदेश दिनांकित 03.12.80 के द्वारा उसकी अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि हेतु मूल नियुक्ति नहीं थी। मात्र यह तथ्य कि उत्तरदाता लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने से स्वतः वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में उसके धारणाधिकार की समाप्ति नहीं होगी। वर्ष 1980 में ई.एस.आई. निगम में पदस्थ होने के बाद भी मूल विभाग द्वारा उसे अपने संवर्ग से संबंधित माना गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। (प्रस्तर 15) (456–बी–सी)

1.4 उल्लेखनीय है कि तब कोई आपत्ति नहीं की गई जब उत्तरदाता कर्मचारी के द्वारा सभी संबंधित को विधिवत सूचित करते हुए यह विकल्प दिया गया कि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाओं में उसका धारणाधिकार उच्च पद पर पदोन्नति/वित्तीय हितों के संरक्षण आदि हेतु बनाए रखा जाए। प्रकरण में इस दृष्टिकोण से उत्तरदाता का धारणाधिकार मूल विभाग में सदैव बना रहा। इस स्तर पर राज्य को अपना रुख बदलने एवं यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उत्तरदाता को अपने मूल विभाग के पद के संबंध में धारणाधिकार प्राप्त नहीं किया था।

विधि व्यवस्था संदर्भ

(1989) 4 एस.सी.सी. 99 संबंधित प्रस्तर– 13
1999 सुप (1) एस 0 सी0 सी0 524 संबंधित प्रस्तर– 14

व्यवहार अपीलीय क्षेत्राधिकार: व्यवहार अपील संख्या 1609/2009

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ द्वारा व्यवहार विशेष अपील (रिट) संख्या 606/2001, एकल पीठ व्यवहार रिट याचिका संख्या 1663/1997 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 29.11.2006 से उद्भूत।

तथा

व्यवहार अपील संख्या 1610 सन् 2009
मधुरिमा टाटिया, मिलिन्द कुमार, अरुणेश्वर गुप्ता – अपीलार्थी की ओर से
आर. वेंकटरमानी, दीनू टमटा, विजयलक्ष्मी – उत्तरदातागण की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ के द्वारा विशेष अपील संख्या 606/01 तथा विशेष अपील संख्या 863/01 में पारित उस निर्णय व आदेश दिनांकित 29.11.2006 के विरुद्ध योजित की गई हैं, जिसके द्वारा एकल पीठ के निर्णय व आदेश को पुष्ट किया गया था।

3. राजस्थान सरकार द्वारा इन अपीलों को संस्थित करने के आधार संबंधी तथ्य निम्नवत हैं:

4. इस प्रकरण में एकमात्र उत्तरदाता को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभिक रूप से वित्तीय एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग में श्रेणी –।। के अन्वेषक के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तरदाता के द्वारा दिनांक 27.04.1959 को अपना पदभार ग्रहण किया गया। उत्तरदाता को समान रूप से पदस्थ अन्य कर्मचारीगण के साथ विभाग द्वारा अधिशेष घोषित किया गया परंतु उन सभी को वापस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर में कार्य करने हेतु भेज दिया गया। दिनांक 03.12.1980 को जब उत्तरदाता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकी निरीक्षण के रूप में कार्यरत था, तब उसे पूर्णतः अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर छः माह की अवधि अथवा लोक सेवा

आयोग से किसी अभ्यर्थी के चयन (जो भी पहले हो) तक के लिये ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार उसे प्रभावी दिनांक 06.12.1980 से होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिये पदमुक्त कर दिया गया। उत्तरदाता उक्त पद पर दिनांक 31.12.1994 अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्य करता रहा क्योंकि सेवानिवृत्ति के दिनांक तक राजस्थान सरकार द्वारा उसका कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया गया।

5. वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा निदेशक ई0एस0आई0 निगम जयपुर को संबोधित पत्र दिनांकित 05.04.1991 के माध्यम से उत्तरदाता के इस विकल्प की अपेक्षा की गई कि क्या वह अपने मूल विभाग में सेवा हेतु वापस जाना चाहता है अथवा ई0एस0आई0 निगम में स्थायी किया जाना चाहता है। उत्तरदाता के द्वारा निदेशक वित्त एवं सांख्यिकी को संबोधित पत्र दिनांकित 08.04.1991 के माध्यम से अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाओं में अपने धारणाधिकार को जारी रखने के अधिकार का प्रयोग उच्चतर सांख्यिकी सेवाओं में अपने वित्तीय हितों/पदोन्नति के संरक्षण हेतु किया गया। उत्तरदाता के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय दिनांकित 02.09.1988 का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा उत्तरदाता के आवेदन पर मूल विभाग को राजस्थान सेवा नियमावली के अनुसार वर्षवार रिक्तियों को निश्चित करने तथा सांख्यिकी निरीक्षक को सांख्यिकी सहायक के पद पर पदोन्नत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. उत्तरदाता के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश जारी करने की याचना के साथ रिट याचिका संख्या 4832/1991 योजित की गई कि उसे अपने मूल विभाग में वापस न भेजा जाये तथा उसे होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाये तथा उस पद के सापेक्ष नियमित वेतनमान पर उसका वेतन निश्चित किया जाये। उत्तरदाता के द्वारा उपरोक्त रिट याचिका के छः वर्षों के पश्चात एक रिट याचिका संख्या 1663/1997 वर्ष 1997 में वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग को यह निर्देश जारी करने की याचना हेतु संस्थित की गई कि उसके प्रकरण पर विचार किया जाये तथा वर्ष 1964 व उसके पश्चात से रिक्तियों की पुनः गणना की जाये व उसे वरिष्ठता प्रदान किये जाने तथा पदोन्नति व पारिणामिक वित्तीय लाभ अपने कनिष्ठ के सांख्यिकी निरीक्षक से उप निदेशक के पद पर पदोन्नत होने की तिथि से दिये जायें। उत्तरदाता के द्वारा उसकी वरिष्ठता एवं पदोन्नति निश्चित करते हुए पेंशन संबंधी लाभ दिये जाने हेतु भी याचना की गई।

7. दोनों रिट याचिकायें सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुईं, इसी मध्य उत्तरदाता ने उसके द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 4832/1991 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने की प्रार्थना उच्च न्यायालय से की गई। उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विमर्श के उपरांत यह निष्कर्ष आहरित किया गया कि उत्तरदाता को स्वास्थ्य सेवा विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य करने हेतु अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, एवं उसके पास सदैव वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में धारणाधिकार सुरक्षित था, इस प्रकार वह रिट याचिका संख्या 1663/1997 में याचित अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी था। रिट याचिका संख्या 4832/1991 में उत्तरदाता/याची को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया क्योंकि उसके द्वारा उक्त रिट याचिका पर बल नहीं दिया गया था। अतएव वर्तमान अपीलें राजस्थान सरकार द्वारा योजित की गई हैं।

8. राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मधुरिमा टाटिया, के द्वारा अन्य कथनों के साथ यह कथन किया गया कि उत्तरदाता के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया तथा अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक उसी पद पर कार्य किया गया। उक्त पद

राजस्थान सेवा नियमावली, 1971 में संवर्गित नहीं है तथा इसी कारण वह वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में वर्ष 1980 के पश्चात से पदोन्नति व अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आलोच्य निर्णय का समर्थन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल विभाग में उत्तरदाता का धारणाधिकार बना रहा क्योंकि उसे ई 0 एस 0 आई 0 निगम में, जहां उसे प्रतिनियुक्त किया गया था, कभी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में स्थायी नहीं किया गया।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया।

11. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाता को प्रारंभिक रूप से वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग में स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था तथा तदोपरांत उसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने हेतु भेजा गया जहां से उसे अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर एक योजना के अंतर्गत छः माह की अवधि अथवा लोक सेवा आयोग से किसी अभ्यर्थी के चयन (जो भी पहले हो) तक के लिये होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। चूंकि ऐसा कोई चयन नहीं हुआ, उत्तरदाता दिनांक 31.08.1994 को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक उक्त पद पर कार्यरत रहा। सरकार का यह केस नहीं है कि किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मूल विभाग में उत्तरदाता के धारणाधिकार को समाप्त किया गया। राज्य की ओर से यह दर्शित करने हेतु भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उत्तरदाता को किसी पद पर स्थायी किया गया तथा वह उस नियुक्ति पर मूल रूप में स्थायी आधार पर पदस्थ था। दूसरी ओर, ई 0 एस 0 आई निगम में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए भी उत्तरदाता कर्मचारी के द्वारा निदेशालय वित्त एवं सांख्यिकी विभाग के विरुद्ध निर्देश प्राप्त किये गये कि सेवा नियमानुसार वर्षवार रिक्तियों को निश्चित किया जाये तथा सांख्यिकी निरीक्षक को सांख्यिकी सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाये। वह आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है। उक्त आदेश से भी यह प्रदर्शित होता है कि उत्तरदाता को वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में सदैव धारणाधिकार प्राप्त था। यहां राजस्थान सेवा नियमावली के नियम 18 पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिसे पूर्ण रूप से निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है –

> '' 18. धारणाधिकार का पर्यवसान (क)– एक लोक सेवक का किसी पद पर धारणाधिकार किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा, चाहे उसकी सहमति से ही क्यों न हो, यदि उसका परिणाम बिना धारणाधिकार के उस पदमुक्ति अथवा किसी स्थायी पद पर निलंबित धारणाधिकार होगा।
>
> (ख)– एक लोक सेवक का किसी पद पर धारणाधिकार उसके अपने मूल संवर्ग से बाहर किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार प्राप्त कर लेने पर समाप्त माना जाएगा (चाहे वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन हो) । ''

12. उक्त नियम के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि एक लोक सेवक का किसी पद पर धारणाधिकार किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा, चाहे उसकी सहमति से ही क्यों न हो, यदि उसका परिणाम बिना धारणाधिकार के उस पदमुक्ति अथवा किसी स्थायी पद पर निलंबित धारणाधिकार होगा। एक लोक सेवक का किसी पद पर धारणाधिकार उसके अपने मूल संवर्ग से बाहर किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार प्राप्त कर लेने पर समाप्त माना जाएगा। राज्य का यह केस नहीं है कि उत्तरदाता को ई 0 एस 0 आई 0 निगम में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में स्थायी किया गया था। उत्तरदाता कर्मचारी को ई 0 एस 0 आई 0 निगम में कोई धारणाधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। समाप्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उत्तरदाता कर्मचारी के द्वारा अपने मूल संवर्ग से बाहर किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार प्राप्त नहीं किया गया था।

13. यह सुस्थापित है कि किसी पद के संबंध में जब कोई धारणाधिकारयुक्त व्यक्ति को मूल रूप से किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, केवल तभी उसे पश्चातवर्ती पद पर धारणाधिकार प्राप्त होता है। केवल और केवल तभी पूर्व पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त होता है। धारणाधिकार से किसी लोक सेवक का अपने उस मूल पद पर बने रहने का अधिकार तात्पर्यित है जिस पर उसकी नियुक्ति हुई है। एक सरकारी कर्मचारी का पूर्व पद पर धारणाधिकार तब समाप्त होता है जब उसे किसी स्थायी पद पर स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी का धारणाधिकार नये स्थायी पद पर अंतरित हो जाता है। पूर्व स्थायी पद पर धारणाधिकार की औपचारिक समाप्ति आवश्यक नहीं है। इस न्यायालय द्वारा राम लाल खुराना बनाम पंजाब राज्य (1989) 4 एस 0 सी0 सी0 99 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारणाधिकार कोई कला का शब्द नहीं है। इससे किसी लोक सेवक का अपने उस मूल पद को धारण करने का अधिकार अभिप्रेत है जिस पर उसे नियुक्त किया गया था।

14. '' धारणाधिकार '' शब्द लैटिन भाषा के शब्द ''लिगामेंट '' से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है ''बाध्यकारी''। सेवा विधि में धारणाधिकार का अर्थ संविदा, सामान्य विधि, साम्य, आदि के संदर्भ से भिन्न है। सेवा विधि में किसी राजकीय सेवक के धारणाधिकार से तात्पर्य उसके उस मूल पद को स्थायी रूप से धारण करने के अधिकार से है, जिस पर उसे स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। (देखें– त्रिवेणी शंकर सक्सैना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999 सुप (1) एस 0 सी0 सी0 524)

15. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अभिमूल्यन पर यह पाया कि उत्तरदाता का धारणाधिकार वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में सदैव बना रहा। होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में आदेश दिनांकित 03.12.80 के द्वारा उसकी अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि हेतु मूल नियुक्ति नहीं थी। मात्र यह तथ्य कि उत्तरदाता लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने से स्वतः वित्त एवं सांख्यिकी विभाग में उसके धारणाधिकार की समाप्ति नहीं होगी। वर्ष 1980 में ई 0 एस 0 आई 0 निगम में पदस्थ होने के बाद भी मूल विभाग द्वारा उसे अपने संवर्ग से संबंधित माना गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है।

16. उल्लेखनीय है कि तब कोई आपत्ति नहीं की गई जब उत्तरदाता कर्मचारी के द्वारा सभी संबंधित को विधिवत सूचित करते हुए यह विकल्प दिया गया कि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाओं में उसका धारणाधिकार उच्च पद पर पदोन्नति/वित्तीय हितों के संरक्षण आदि हेतु बनाए रखा जाए। प्रकरण में इस दृष्टिकोण से उत्तरदाता का धारणाधिकार मूल विभाग में सदैव बना रहा। इस स्तर पर राज्य को अपना रुख बदलने एवं यह कहने की

अनुमति नहीं दी जा सकती कि उत्तरदाता को अपने मूल विभाग के पद के संबंध में धारणाधिकार प्राप्त नहीं किया था।

17. तदनुसार अपीलें असफल हैं तथा निरस्त की जाती हैं। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में हर्जे व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

अपील निरस्त

निरीक्षण द्वारा –
रीमा मल्होत्रा,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या– 14, मुजफ्फरनगर
जे. ओ. कोड– यू. पी. 1685